न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/46/2025 रजू दिनांकः 15.04.2025 रजि0 न0 2025/75

अपीलार्थीः–
श्री राकेश, निवासी 168 स्कीम नं0 4 अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)।

प्रत्यर्थीः–
लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास अलवर, जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 06.05.2025

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम,2005) की धारा–6(1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 28.0.2025 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर बिन्दुवार सूचना चाही गई, जो उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रार्थनापत्र न्यायालय को पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 22.04.2025 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नही आया एवं प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक यू0आई0टी0/आर0टी0आई0/2025/817/25 दिनांक 25.04.2025 के द्वारा जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया है, कि अपीलार्थी द्वारा राज0 सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना हेतु आवेदन कमांक 10260 दिनांक 28.02.2025 के द्वारा खसरा सं0 410 के 90बी एवं ले–आउट पत्रावली की नकल चाही गई थी। आवेदन द्वारा चाही गई सूचना के कम में न्यास द्वारा अपीलार्थी को बिन्दु संख्या एक में उपरोक्तानुसार नकल शुल्क 20–/ रूपये जमा कराए जाने एवं अन्य बिन्दुओं के संबंध में पत्र कमांक 14752 दिनांक 28.03.2025 को सूचना से अवगत कराया जा चुका है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना के संबध में कार्यालय के पत्रांक 14752 दिनांक 28.03.2025 के माध्यम से विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। तथा प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है, कि सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का नियत समयावधि में विधिवत निस्तारण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 06.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)